राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चूरू

क्रमांक :– प.32(6)( ) डी.नि./2025/ दिनांक :–ई–हस्ताक्षर दिनांक

–:: उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु विज्ञप्ति ::–

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चूरू जिले में उचित मूल्य की रिक्त उचित मूल्य दुकान के लिये इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार–पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 दिनांक 17.03.2016 एवं एफ17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के तहत सशुल्क आवेदन–पत्र दिनांक 17.11.2025 से 27.11.2025 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला रसद, चूरू (भरतिया अस्पताल के सामने, नेचर पार्क के पास, चूरू) से 100/– रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, चूरू के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 03.12.2025 (सांय 6.00 बजे) तक निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चूरू में जमा करवाये जा सकेगें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। जिला चूरू में रिक्त उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है :–

तहसील सुजानगढ़

क्र.सं.	ग्राम/वार्ड	ग्रामीण/शहरी	रिक्त/नवसृजित	आरक्षण की श्रेणी
1	सारोठिया	ग्रामीण	रिक्त	अनारक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र/खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ17(1)खावि/विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एव एफ17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 तथा समय–समय पर जारी संशोधन आदेशों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। पत्र दिनांक 17.03.2016 तथा समय समय पर विभाग द्वारा संशोधित आदेश के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट Food.rajasthan.gov.in पर तथा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, चूरू में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

कतिपय वितरण केन्द्रों को प्राधिकार पत्र निरस्त होने से इस विज्ञप्ति में शामिल किया गया है। नवनियुक्ति आवेदक को आवंटन करने से पूर्व उच्च स्तर से निरस्त उचित मूल्य दुकानदार के बहाल होने की स्थिति में उस ग्राम/वार्ड की वेकेंसी स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। नवनियुक्त आवेदक को दुकान आवंटन के पश्चात यदि उच्च स्तर से पूर्व उचित मूल्य दुकानदार के बहाली के आदेश प्राप्त होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दोनों के मध्य वार्ड विभाजन कर प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी।

RajKaj Ref No.:
18826968
eSign DSC

उक्त रिक्तियों की संख्या में कमी/बढ़ोतरी/संशोधन एवं स्थान/वार्ड परिवर्तन या संशोधन अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा सकता है तथा विज्ञप्ति में दुकानों का आवंटन/नियुक्ति एवं संशोधन, रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।

(अभिषेक सुराणा)
जिला कलक्टर (रसद),
चूरू

क्रमांक :– प.32(6)( ) डी.नि./2025/ दिनांक :–ई–हस्ताक्षर दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान–जयपुर।
4. श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर।
5. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान–जयपुर।
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. ए.सी.पी., खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान–जयपुर को उक्त विज्ञप्ति खाद्य विभाग की वेबसाईट WWW.Food.raj.nic.in पर अपलोड कराने बाबत।
8. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, चूरू।
9. समस्त विकास अधिकारी, जिला चूरू को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. प्रोग्रमर एन.आई.सी., एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड कराने बाबत।
11. समस्त प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय हाजा, चूरू।
12. रक्षित पत्रावली।

जिला कलक्टर (रसद),
चूरू

RajKaj Ref No.:
18826968
eSign DSC